झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

-: अधिसूचना :-

रॉंची,दिनांक-**13-01-2025**

सं0-05/मं0मं0स0/वि0स0सत्र-**01/2025- 54**/ माननीय राज्यपाल, झारखण्ड का दिनांक- **10-01-2025** का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

---

"भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को **दिनांक- 24 फरवरी, 2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड** विधान सभा के सभा वेश्म् ,रॉंची में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।"

रॉंची,
दिनांक- 10 जनवरी, 2025

ह0/- संतोष कुमार गंगवार,
राज्यपाल, झारखण्ड

ह0/-अखलेश कुमार सिन्हा
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

-: आह्वान-पत्र :-

पत्र सं0-कार्य0का0सू0-01/2025- ...02...../वि0स0।

प्रेषक,

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रिगण,
झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची,दिनांक-..13/01/25........ई0।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि झारखण्ड के माननीय राज्यपाल ने भारत का संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा को सभा-वेश्म्, राँची में **दिनांक-24 फरवरी, 2025** को 11:00 बजे पूर्वाहन् में अधिवेशित होने के लिए आहूत किया है।

माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से **दिनांक-13 जनवरी, 2025** को जारी की गई एतद् विषयक अधिसूचना की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

अतः झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम-3 के अधीन मैं आपसे निर्धारित तिथि,समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए अनुरोध करता हूँ।

विश्वासभाजन,

13-01-25

(माणिक लाल हेम्ब्रम)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

13.01.25